न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 02/2014/टोंक (2014/00089)

लाला पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम बिलायतीपुरा तहसील पीपलू थाना पीपलू जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
निर्णय दिंनाक 30–12–2013

———

उपस्थितः 1– श्री समीर अहमद खांन अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी लाला पुत्र रामचन्द्र द्वारा एक शस्त्र संख्या आई.ओ.एफ गन नम्बर 7746 एक नाली टोपीदार बन्दूक धारक है जिसका अनुज्ञा पत्र संख्या 46/बी2001 तहसील, पीपलू जिला टोंक द्वारा दिनांक 31–12–2011 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी ने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को जिला कलक्टर, टोंक के निर्देशानुसार थाना पीपलू में जमा करा दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/बी2001 का नवीनीकरण कराने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू के समक्ष आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से अपीलार्थी की निवास स्थान व चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 976 दिनांक 20–1–2012 के जरिये अपीलार्थी के निवास स्थान एवं चरित्र संबंधी जांच थानाधिकारी, पीपलू से कराई उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न मुकदमें विचाराधीन

होने के आधार पर अपने आदेश दिनांक 26–7–2012 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/बी2001 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–12–2013 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के निर्णय दिनांक 30–12–2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी को लाईसेंस वर्ष 2001 में तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक पीपलू द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर पूर्णतया सन्तुष्ट होकर लाईसेंस जारी किया गया था तथा वर्तमान पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट मंगवाकर पूर्णतया सन्तुष्ट होकर लाईसेंस जारी किया गया था तथा वर्तमान पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा नम्बर 205/99 धारा 341, 323/34 आइपीसी दिनांक 6–11–99 को दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 122/99 दिनांक 23–11–99 को किता की गई, के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया जबकि उक्त मुकदमा दिनांक 8–11–2000 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के न्यायालय में राजीनामें के आधार पर निस्तारित कर अपीलार्थी को बरी कर दिया गया। वर्तमान में भी किसी भी प्रकार का कोई फौजदारी मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने के बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू द्वारा दिनांक 26–7–2012 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलर्थी ने वर्ष 2001 में अपना लाईसेंस बनवाया तथा उसके पश्चात ही अपीलार्थी द्वारा उक्त लाईसेंस लिया था। उक्त फौजदारी मुकदमा बन्दूक लाईसेंस लेने से पूर्व का था इसलिए उक्त पुराने मुकदमें के आधार पर नवीनीकरण नहीं रोका जाना चाहिए था। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में एवं निवास के संबंध में उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गयाकि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया जावे उसके बावजूद भी अधीस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू को अपने पत्र क्रमांक 1993–99 दिनांक 5–5–2008 द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के संबंध में पत्र जारी किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी को केवल शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण के बाबत गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20–9–2007 के सन्दर्भ केवल नवीनीकरण के अधिकार दिये जाने का अंकन किया गया। परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि आप अपने स्तर पर शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को

निरस्त नहीं करे, परन्तु इसके बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया बल्कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त पत्र के विपरीत जाकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मुकदमा नम्बर 205/99 अन्तर्गत धारा 341, 323/34 आईपीसी में दर्ज होना बतया जबकि उक्त प्रकरण में मुस्तगीस व अपीलार्थी के बीच दिनांक 8–11–2000 को राजीनामा हो चुका था उक्त मुकदमा बन्दूक का लाईसेंस लेने से पूर्व का था। राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकशन दिनांक 15–3–2013 क्रमांक प.1(13)गृह–9/2006 पार्ट के अनुसार जिन मुकदमों के तहत पक्षकारों को दोषमुक्त किये जाने पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है उक्त परिपत्र गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, में स्पष्ट रूप से इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने बाबत स्पष्टीकरण दिया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू द्वारा पारित निर्णय 26–7–2012 निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 20–1–2012 में अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 205/99, 341, 323/34 आईपीसी में मुकदमें विचाराधीन होने को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू का निर्णय दिनांक 26–07–2012 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 20–1–2012 के अनुसार मुकदमा नम्बर 205/99, 341, 323/34 आईपीसी में मुकदमें विचाराधीन होने को मध्यनजर रखते हुए अपलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज होने एवं आपराधिक गतिविधिक को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में किसी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का जान व माल का खतरा है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 46/बी2001 निरस्त किया है जो उचित प्रतीत होता है।

जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू ने अपने आदेश क्रमांक 434 दिनांक 26–07–2012 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/बी2001 को निरस्त कर शस्त्र संख्या आई.ओ. एफ गन नम्बर 7746 एक नाली टोपीदार बन्दूक को संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालयों (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू का आदेश दिनांक 26–7–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–4–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर